।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक:-सामान्य/10/2018/69672-800 दिनांक:- 18-02-2020

-स्थायी आदेश- 03/2020

विषय- महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह ।

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत किसी भी रैंक के अधिकारियों और कार्मिकों के अपने कर्तव्यक्षेत्र में असाधारण कार्यप्रदर्शन और विशिष्ट कर्तव्यपरायणता की पहचान और सराहना हेतु महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह और महानिदेशक प्रशस्ति पत्र की संकल्पना वर्ष 2020 से प्रारम्भ की जाती है। इस प्रावधान के अंतर्गत पुरस्कृत अधिकारी एवं कर्मी महानिदेशक कारागार की ओर से प्रदत्त प्रशस्ति चिन्ह को अपने गणवेश पर धारण करने के पात्र होंगे। गणवेश न धारण करने वाले कार्मिक प्रशस्ति पत्र हेतु पात्र होंगे।

उद्देश्य:-

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में असाधारण/विशिष्ट कार्यप्रदर्शन अथवा सराहनीय नवाचार/पहल हेतु मान्यता एवं सम्मान प्रदान करना। विभाग में सकारात्मक वातावरण का सृजन करना और विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों का मनोबल ऊँचा रखना।

कार्यप्रदर्शन के क्षेत्र :-

1. कारागार प्रशासन एवं कल्याण के क्षेत्र में।
2. बंदी प्रबंधन के क्षेत्र में।
3. कारागार सुरक्षा के क्षेत्र में।
4. उद्योग एवं पुनर्वास के क्षेत्र में।
5. प्रशिक्षण के क्षेत्र में।
6. सुधार के क्षेत्र में।
7. खेल-कूद, सांस्कृतिक या कला के क्षेत्र में।
8. अन्य कोई भी क्षेत्र जिसमे किये गए कार्य से कारागार विभाग के गौरव में अभिवृद्धि हुई हो ।

विवरण

प्रशस्ति चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के विशिष्ट कार्यों हेतु दिए जायेंगे:-

1. आपातकालीन एवं आकस्मिक परिस्थितियों में सराहनीय कार्य हेतु-
   A. बंदी फरारी/बंदी मृत्यु/जेल परिसर में उत्पन्न आकस्मिक आपराधिक घटना, बलवा, नियम विरुद्ध गतिविधियों को रोकने हेतु अप्रत्याशित परिस्थितियों में उल्लेखनीय प्रयास हेतु।
   B. प्राकृतिक आपदा के दौरान जेल परिसर में जान-माल की रक्षा हेतु उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने हेतु।
2. सामान्य परिस्थितियों में नियमित रूप से सराहनीय प्रदर्शन हेतु -
   A. आतंकवादियों, दस्यु, कुख्यात अपराधियों और विशिष्ट सुरक्षा वाले बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किये जाने पर।
   B. बंदियों के पुनर्वास, प्रशिक्षण हेतु नवीन उद्योग इकाई प्रारम्भ करने, प्रशिक्षण सह उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने या बंदियों की वार्षिक कार्यशीलता में नितांत अभिवृद्धि के लिए।
   C. जेल की कार्यप्रणाली अथवा बंदी कल्याण के क्षेत्र में नवाचार करने तथा उसके प्रयोग से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किये जाने पर।
   D. जेल के अभिलेखों के संधारण, संरक्षण और अनुरेखण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार अथवा सफलता हासिल किये जाने पर।
   E. क्रीड़ा, साहित्य, कला, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में अधिमान्य प्रतियोगिताओं में एवं मान्य अधिकृत प्राधिकार द्वारा उल्लेखनीय सफलता /सम्मान पाए जाने पर।
   F. जेलकर्मियों के प्रशिक्षण, पेशेवर प्रतिबद्धता एवं मनोबल उन्नयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर।
   G. जेल परिसर के आधारभूत ढांचे के उत्क्रमण, साफ़-सफाई, रख-रखाव, सौंदर्य वृद्धि या उपयोगिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये जाने पर।

H. जेल विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक प्राथमिकताओं को पूर्ण करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये जाने पर।

I. वाहन चालन/रख-रखाव । उपकरण-संसाधन संचालन/रख-रखाव इत्यादि कार्यों में सराहनीय सफलता अर्जित करने हेतु ।

J. अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य जो समिति और महानिदेशक कारागार की दृष्टि में प्रशस्ति के योग्य हों ।

K. ई-गवरनेन्स कम्प्यूटीकरण तथा व्यवस्था स्वचालन के क्षेत्र में नयी व सहरानीय पहल है।

L. बन्दियों की साक्षरता व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु।

प्रक्रिया:-

1. प्रशस्ति चिन्ह हेतु प्रत्येक प्रकरण की पृथक मेधा परीक्षण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। सम्बंधित कारागार अधीक्षक/प्रभारी द्वारा प्रकरण तैयार करके मंडलाधिकारी के माध्यम से मुख्यालय भेजा जायेगा। भेजे गए प्रस्ताव में किये गए सराहनीय कार्य का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । साथ ही अर्हता की श्रेणी का भी हवाला दिया जायेगा। अनुशंसा करने वाले तथा अग्रेषित करने वाले दोनों ही अधिकारियों द्वारा अपनी स्पष्ट अनुशंषा कारण सहित भेजी जाएगी।
2. एक नियत तिथि तक मंगाए गए ऐसे समस्त प्रस्तावों पर विचारण हेतु मुख्यालय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जायेगा जिसकी संरचना निम्नवत होगी :-
   अतिरिक्त महानिदेशक - अध्यक्ष
   महानिरीक्षक कारागार- सदस्य
   वरिष्ठतम उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक - सदस्य
3. समिति द्वारा प्राप्त नामांकनों का परीक्षण करके अपनी अनुशंसा महानिदेशक कारागार को प्रेषित की जाएगी।
4. महानिदेशक कारागार की स्वीकृति के उपरान्त महानिरीक्षक कारागार द्वारा यथोचित संख्या में प्रशस्ति पात्र और प्रशस्ति चिन्ह तैयार कराये जायेंगे।

5. यथासंभव कारागार अलंकरण दिवस के समारोह के दौरान ही उक्त प्रशस्ति चिन्हों को भी प्रदान किया जायेगा।
6. प्रशस्ति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख सम्बंधित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जायेगा।
7. कारागार विभाग से भिन्न किसी भी विभाग अथवा संगठन के कार्मिकों को भी प्रशस्ति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा सकेगा अगर समिति की राय में उक्त कार्मिक का सराहनीय योगदान कारागार विभाग के विकास/सुधार/उत्कृष्ट प्रदर्शन/कल्याण में रहा हो। गणवेश ना धारण करने वाले कार्मिकों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र ही देय होगा।
8. ऐसे प्रशस्ति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले कार्मिकों का एक स्थायी रजिस्टर महानिरीक्षक कारागार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा।
9. प्रशस्ति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक - "कार्यालय व्यय" से किया जायेगा।
10. उपरोक्त किसी प्रावधान को शिथिल करते हुए महानिदेशक कारागार को किसी भी कारागार विभाग में कार्यरत कार्मिक को प्रशस्ति चिन्ह दे सकने का अधिकार होगा।

प्रशस्ति चिन्ह की बनावट

1. महानिदेशक कारागार द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रशस्ति चिन्ह दो प्रकार के होंगे।

   कार्यप्रदर्शन क्षेत्र बंदी प्रबंधन, कारागार सुरक्षा, उद्योग एवं पुनर्वास एवं प्रशिक्षण से संबंधित प्रशस्ति चिन्ह का आकार षट्कोणीय और कारागार प्रशासन एवं कल्यान, सुधार, खेल-कूद, सांस्कृतिक/कला, अन्य क्षेत्रों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रशस्ति चिन्ह का आकार अंडाकार होगा।
2. चिन्ह के ऊपरी भाग पर महानिदेशक कारागार राजस्थान उत्कीर्ण होगा। मध्य भाग में राजस्थान कारागार विभाग का गुम्फाक्षर/नामचिह्न/मोनोग्राम बना होगा तथा उसके नीचे प्रशंसा/Commendation उत्कीर्ण होगा।

प्रबंधन, कारागार सुरक्षा, उद्योग एवं पुनर्वास एवं प्रशिक्षण

कारागार प्रशासन एवं कल्यान, सुधार, खेल-कूद, सांस्कृतिक/कला, अन्य क्षेत्र

3. प्रशस्ति चिन्ह के पक्ष भाग में प्राप्तकर्ता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में उत्कीर्ण होगा ।
4. प्रशस्ति चिन्ह किसी भी कर्मी को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार दिया जा सकेगा।
5. प्रथम प्रशस्ति चिन्ह का नाम रजत प्रशस्ति चिन्ह होगा हो रजत वर्ण का होगा। द्वितीय प्रशस्ति चिन्ह का नाम स्वर्ण प्रशस्ति चिन्ह होगा जो स्वर्ण वर्ण का होगा। तृतीय प्रशस्ति चिन्ह का नाम हीरक प्रशस्ति चिन्ह होगा जो प्लैटिनम वर्ण का होगा। चतुर्थ, पंचम व षष्ठ प्रशस्ति चिन्ह हेतु हीरक प्रशस्ति चिन्ह पर ही क्रम से अतिरिक्त सितारे अंकित किये जायेंगो
6. प्रशस्ति चिन्ह प्राप्तकर्ता कर्मी उसे अपनी वर्दी की शर्ट के बाएं पॉकेट के फ्लैप पर धारण करेंगे। एक से अधिक बार प्राप्त होने पर पूर्व में प्राप्त चिन्ह के बायीं ओर धारण करेंगे।

प्रशस्ति चिन्ह की जब्ती :-

1. किसी भी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाए जाने/वृहद् विभागीय दंड से दण्डित किये जाने/कायरता दिखाने/निष्ठाहीनता का प्रदर्शन करने/ महानिदेशक कारागार की दृष्टि में किसी भी अनुचित कृत्य, जिससे विभाग

की छवि धूमिल हो, को किये जाने की स्थिति में महानिदेशक कारागार को लिखित आदेश जारी कर प्रशस्ति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र को वापस जब्त कर सकने का अधिकार होगा।

2. भविष्य में कभी भी यह सिद्ध होने पर कि यह सम्मान गलत तथ्यों को प्रकट करके अथवा कूट रचना करके अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्राप्त किये गए थे, महानिदेशक कारागार को प्रशस्ति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र को वापस ले सकने का अधिकार होगा। इस हेतु महानिदेशक कारागार का लिखित आदेश पर्याप्त होगा।

विविध :-

1. प्रशस्ति चिन्ह खो जाने की स्थिति में सम्बंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा इस सम्बन्ध में जांच संपन्न की जाएगी। जांच पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित कार्मिक द्वारा राजकोष में प्रशस्ति चिन्ह के निमित समुचित राशि जमा किये जाने के उपरान्त प्रतिरूप प्रशस्ति चिन्ह निर्गत किया जा सकेगा
2. इस सम्मान से सम्बंधित समस्त निर्देशों में संसोधन का अधिकार महानिदेशक कारागार के पास सुरक्षित रहेगा।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह,राज.।
4. अधीक्षक/प्रभारी समस्त महिला बंदी सुधारगृह/किशोर बंदी सुधारगृह/उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर/विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
7. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।
8. अति. निजी सचिव, अति. महानिदेशक कारागार राज., जयपुर।
9. समस्त शाखा प्राभारी मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर